राजस्व प्रार्थना पत्र 18/2019
हरिकिशन बनाम सरकार जरिये तहसीलदार जायल

न्यायालय सहायक कलक्टर उपखण्ड अधिकारी, जायल (नागौर)

पीठासीन अधिकारी रवीन्द्र चौधरी आर.ए.एस

प्रार्थना पत्र संख्या– 18/2019

प्रार्थी–

1. हरिकिशन पुत्र बीजाराम मेघवाल
   निवासी उबासी तहसील जायल जिला नागौर।

बनाम

अप्रार्थी–

1. सरकार जरिये तहसीलदार जायल ।

सहायक कलक्टर * जायल (एस.डी.ओ.)

उपस्थित

1. अभिभाषक श्री ओमप्रकाश गोदारा प्रार्थी की ओर से ।
2. राजपैरोकार (तहसीलदार)

प्रार्थना पत्र अधीन धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम–1956

निर्णय दिनांक :– 01/03/2024

.....

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का सक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी का वास्तविक नाम हरिकिशन पुत्र बीजाराम हैं। मगर राजस्व रिकॉर्ड में मौजा पिण्डिया के खतौनी सं. 323 खसरा नम्बर 643/530 रकबा 06.10 बीघा में प्रार्थी का नाम की बोल–चाल की आम भाषा में हरिराम से संबोधित होने से सहवन से राजस्व रेकर्ड में हरिराम पुत्र बींजाराम दर्ज हो गया है। प्रार्थी के मतदाता फोटो पहचान पत्र, राशन कार्ड, जन आधारकार्ड, बैंक खाता व आधार कार्ड संख्या 402334232563 मे प्रार्थी का नाम हरिकिशन पुत्र बीजाराम दर्ज हैं। इस गलत इन्द्राज के कारण प्रार्थी को सरकारी मुआवजा व अन्य प्रकार की ऋण सुविधाओं मे परेशानी आने से प्रार्थी को यह प्रार्थना पत्र पेश करना लाजमी आया।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन वास्ते जवाब देही तलब किया गया।जवाब देही हेतु नियत तारीख पैशी को अप्रार्थी सं. 1 राजपैरोकार ने जवाब जरिये पत्रांक भू.अ./2021/51 दिनांक 18.1.2021 मय हल्का पटवारी पिण्डिया की मौका रिपोर्ट दिनांक 24.11.2020 के आधार पर प्रस्तुत करते हुये अवगत कराया कि प्रार्थी का नाम राजस्व रेकर्ड में हरिराम पुत्र बीजाराम दर्ज है लेकिन अन्य सभी

01/03/2024
सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
जायल,जिला नागौर

Scanned with CamScanner

दस्तावेजों में हरिकिशन पुत्र बीजाराम नाम दर्ज है जिसे प्रार्थी अब राजस्व रेकर्ड में हरिकिशन पुत्र बीजाराम दर्ज करवाना चाहता है जो सही है। जांच करने पर पाया गया कि हरिकिशन पुत्र बीजाराम सही नाम है। प्रार्थी का नाम हरिराम पुत्र बीजाराम के स्थान पर हरिकिशन पुत्र बीजाराम राजस्व रिकॉर्ड में दुरस्त किये जाने की अभिषंशा की।

प्रार्थना पत्र की ताहिद में हल्का पटवारी पिण्डिया की रिपोर्ट, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, भामाशाहकार्ड , बैंक खाता, कार्यालय ग्राम पंचायत पिण्डिया द्वारा दिनांक 28.2.2019 द्वारा जारी प्रमाण पत्र व पिण्डिया के खतौनी सं. 323 खसरा नम्बर 643/530 रकबा 06.10 बीघा की नकल खतौनी प्रस्तुत की। साक्ष्य प्रार्थी बन्द की गई तथा पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई। बहस वकील प्रार्थी की सूनी गयी। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरान किया तथा राजस्व रिकॉर्ड में पिण्डिया के खतौनी सं. 323 खसरा नम्बर 643/530 रकबा 06.10 बीघा में प्रार्थी का नाम हरिराम पुत्र बीजांराम दर्ज के स्थान पर हरिकिशन पुत्र बीजाराम शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद किये जाने बाबत तहसीलदार जायल को आदेश दिये जाने का निवेदन किया गया।

वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली साक्ष्य के तौर पर प्रस्तुत किये गये दस्तावेज पिण्डिया के खतौनी सं. 323 खसरा नम्बर 643/530 रकबा 06.10 बीघा संवत् 2071–74 में प्रार्थी का नाम हरीराम पुत्र बीजाराम दर्ज है जिसके स्थान पर हरिकिशन पुत्र बीजाराम शुद्ध किये जाने में तहसीलदार जायल (अप्रार्थी) ने सहमति व्यक्त की है। इसी प्रकार कार्यालय ग्राम पंचायत पिण्डिया द्वारा दिनांक 28.2.2019 द्वारा जारी प्रमाण पत्र ,मतदाता फोटो पहचान पत्र, राशन कार्ड, भामाशाह कार्ड, बैंक खाता, व आधार कार्ड संख्या 402334232563 की फोटो प्रति से प्रार्थी हरिकिशन पुत्र बीजाराम व हरीराम पुत्र बीजाराम एक ही व्यक्ति के नाम होने की सम्पुष्टि होती है तथा अन्त में अप्रार्थी पक्षकार तसहीलदार जायल की अभिषंशा रिपोर्ट के अवलोकन से प्रथम दृष्टया यह साबित है कि प्रार्थी हरिकिशन पुत्र बीजाराम व हरीराम पुत्र बीजाराम दोनों एक ही व्यक्ति के दो नाम है। जिसमें प्रार्थी का वास्तविक नाम हरिकिशन पुत्र बीजाराम ही है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र एल.आर.एक्ट की धारा 136 में कवर नहीं होता है। परन्तु प्रकरण में चाही गई इस्तदुआ का निदान (Remedy) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की सुसंगत धाराओं तथा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की सुंसगत धाराओं में भी नहीं है। प्रार्थी का वास्तविक नाम खातेदार के रूप में दर्ज नहीं होकर बोलता नाम दर्ज हो चुका है जिसका समाधान नहीं होने के कारण प्रार्थी को भारी क्षति हो रही है एवं सरकारी योजनाओं का लाभ महज इसलिए नहीं मिल रहा है कि प्रार्थी का नाम अन्य

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल जिला नागौर

सहायक कलक्टर एस.डी.ओ. जायल

Scanned with CamScanner

राजस्व प्रार्थना पत्र 18/2019

हरिकिशन बनाम सरकार जरिये तहसीलदार जायल

सरकारी दस्तावेजात का नाम राजस्व रिकॉर्ड (जमाबंदी) में दर्ज नाम से समानता नहीं रखता है, जबकि हरिराम उर्फ हरिकिशन दोनो एक ही व्यक्ति है।

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 209 में प्रदत्त शक्तियों के तहत स्वतः प्रसंज्ञान से प्रकरण हाजा को धारा 88, 136 का मानते हुये प्रार्थी हरिकिशन पुत्र बीजाराम जाति–मेघवाल, निवासी–उबासी, तहसील जायल का राजस्व रिकॉर्ड (जमाबंदी) खाता संख्या 323 खसरा नं. 643/530 में दर्ज बोलता नाम हरिराम के स्थान पर वास्तविक नाम हरिकिशन पुत्र बीजाराम दुरूस्त/दर्ज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

– : : आदेश : : –

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 स्व प्रसंज्ञान से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 209 में प्रदत्त शक्तियों के तहत धारा 88, 136 आर.टी.एक्ट का मानते हुये स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार जायल को आदेश दिये जाते है कि वे ग्राम–उबासी तहसील जायल की नकल जमाबंदी खाता संख्या 323 के खसरा नं. 643/530 में दर्ज खातेदार का बोलता नाम हरिराम के स्थान पर हरिकिशन पुत्र बीजाराम जाति–मेघवाल निवासी–उबासी, तहसील–जायल दुरूस्त किया जाकर रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे।

यह आदेश आज दिनांक 01/03/2021 को मेरे द्वारा सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

01/03/2021

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर, जायल